

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/अकादमिक/अ0म0/2025/482/24

रीवा, दिनांक 18/02/25

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत जीवनविज्ञान संकाय अन्तर्गत **जैवरसायन** के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यवाधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

जैव रसायन अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक	1.	रिक्त
28(2) दो	1.	डॉ. आरती सक्सेना विभागाध्यक्ष शास. आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
	2.	डॉ. रश्मि सिंह विभागाध्यक्ष शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना(म.प्र.)
28(2) तीन	1.	डॉ. अतुल कुमार तिवारी उपाचार्य, पर्यावरण जीवविज्ञान विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
28(2) चार	1.	रिक्त
	2.	रिक्त
28(2) पाँच	1.	डॉ. अर्पिता अवस्थी प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष शास. टा.र.सिंह महाविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
	2.	डॉ. शशि सिंह विभागाध्यक्ष, शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा(म.प्र.)

अधिनियम 28 (3) के अन्तर्गत डॉ. आरती सक्सेना को **जैवरसायन** अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल(म0प्र0)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल(म0प्र0)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, जीवन विज्ञानसंकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुरमार्ग, भोपाल(म0प्र0)
8. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निजसहायक


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)